फा.सं. 4-181/2017-18/रा.म.आ.

राष्ट्रीय महिला आयोग

***

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली-110025,
तारीख: 22 नवंबर, 2017

विषय: आयोग की 178वीं बैठक के कार्यवृत्त - के संबंध में

तारीख 1 नवंबर, 2017 को 3.00 बजे अपराह्न में आयोग के सम्मलेन कक्ष में आयोजित आयोग की 178वीं बैठक का कार्यवृत्त जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं।

2. यह अनुरोध है कि यदि उपर्युक्त बैठक में और आयोग के समक्ष रखी गई कार्यसूची मदों के संबंध में किए गए विनिश्चय के आधार पर कोई कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो, तो उसे शीघ्रातिशीघ्र आयोग के समक्ष आगामी बैठक में रखा जाए।

सलंग्न: यथा उपरोक्त

(आर.सी.आहूजा)
अवर सचिव

सेवा में:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव
2. सदस्य (सुषमा साहू) के निजी सचिव
3. सदस्य (आलोक रावत) के निजी सचिव
4. सदस्य-सचिव के निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव के निजी सचिव
6. अवर सचिव(आर.सी.)/अवर सचिव(पी.के.)/वेतन और लेखा अधिकारी
7. वरिष्ठ समन्वयक (श्रीमती कंचन खट्टर/श्रीमती लीलाबती)
8. प्रकोष्ठों के सभी प्रमुख/प्रभारी
9. ज्येष्ठ प्रोग्रामर/प्रशासन लोकल सर्वर में इसे अपलॉड करने के लिए

राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 1 नवंबर, 2017 को 3.00 बजे अपराह्न में आयोग, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 178वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:-

1. सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्ष (प्रभारी)
2. सुश्री सुषमा साहू	सदस्य
3. श्री आलोक रावत	सदस्य
4. डा. सतबीर बेदी	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

1. श्री कुन्दल लाल शर्मा	संयुक्त सचिव
2. श्री आर.सी. आहूजा	अवर सचिव
3. श्री राजेश कुमार आहूजा	वेतन और लेखा अधिकारी

आरंभ में सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों तथा आयोग की बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

इसके पश्चात् निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया:-

कार्यसूची मद सं. 1:

तारीख 20 सितंबर, 2017 को आयोजित आयोग की 177वीं बैठक का कार्यवृत्त।

तारीख 20 सितंबर, 2017 को आयोजित आयोग की 177वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि आयोग द्वारा की गई।

कार्यसूची मद सं. 2:

दैनिक मजदूर और चपरासियों से संबंधित न्यायालय में के मामले की- अद्यतन स्थिति

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया ।

(कार्रवाई: प्रशासन और विधिक प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 3:

अमृतसर, पंजाब में अनिवासी भारतीय विवाहों पर एक दिवसीय प्रादेशिक सेमिनार

आयोग ने कार्यसूची मद के पैरा 6 में के प्रस्तावों का अनुमोदन किया और यह विनिश्चय किया कि इस विषय में और आगे कार्रवाई शीघ्रतापूर्वक की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी विनिश्चय किया गया कि इस विषय में एफ.ए.क्यू विकसित किए जा सकते हैं और उन्हें बेवसाइट पर डाला जाए।

(कार्रवाई: अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 4:

राष्ट्रीय महिला आयोग को अस्तित्व में आए 25 वर्ष के समापन का समारोह।

आयोग ने यह विनिश्चय किया कि रजत जयंती समारोह के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें माननीय प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में और माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए और उनसे समारोह की अध्यक्षता करने का भी अनुरोध किया जाए। यह भी विनिश्चय किया गया कि सचिव, महिला एवं बाल विकास और माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास को पत्र भेजा जाए। यह भी विनिश्चय किया गया कि विज्ञान भवन और मानकशॉ केन्द्र को इस समारोह और अन्य क्रियाकलापों के लिए तुरंत आरंभ करने के लिए ब्लाक किया जाए।

(कार्रवाई: प्रशासन और सभी संबंधित प्रकोष्ठ/अनुभाग)

कार्यसूची मद सं. 5:

शायरा बानू बनाम भारत संघ वाले मामले में 2016 की रिट याचिका सं. 118

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया।

(कार्रवाई: विधिक प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 6:

"घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन संरक्षण अधिकारी: विपदग्रस्त को सात्वंना प्रदान करने में किस सीमा तक सफल रहे हैं"- पर अनुसंधान अध्ययन।

आयोग ने कार्यसूची मद के पैरा 13 में के प्रस्तावों का अनुमोदन किया और यह विनिश्चय किया कि शीघ्रतापूर्वक इस विषय में और आगे कार्रवाई की जाएगी।

(कार्रवाई: पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

पश्चिम जिले के गैर सरकारी संगठन फाउन्डेशन, पश्चिम सिक्किम को 60,000 रूपयें का अधिक भुगतान

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया। यह विनिश्चय किया गया कि जिला कलेक्टर, पश्चिम सिक्किम से भी यह अनुरोध किया जा सकता है कि वे अधिक भुगतान की गई रकम को वसूल करने के लिए सहायता करें।

(कार्रवाई: वेतन और लेखा अधिकारी)

अन्य कार्यसूची मद सं.1

राष्ट्रीय महिला आयोग में मीडिया सलाहकार की नियुक्ति

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया।

(कार्रवाई: पीआर प्रकोष्ठ/प्रशासन)

अन्य कार्यसूची मद सं.2

आयोग ने भूतपूर्व अध्यक्ष सुश्री ललिता कुमारमंगलम, जिन्होंने तारीख 28 सितंबर, 2017 को अपना पद छोड़ दिया है, द्वारा की गई सेवाओं की सराहना अभिलिखित की ।

(कार्रवाई: प्रशासन)

अध्यक्ष को और उनकी ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(डा. सतबीर बेदी)
सदस्य सचिव, रा.म.आ.

(रेखा शर्मा)
अध्यक्ष, रा.म.आ.